

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के छात्र

कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4 / 2013 से 3 / 2014

भाग-एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2011 से 3 / 2013 तक

1	पैरा-5	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
2	पैरा-6	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
3	पैरा-7	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
4	पैरा-8	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
5	पैरा-9	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
6	पैरा-10	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4 / 2013 से 3 / 2014 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए हैं, श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी व श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.07.2014 से 09.07.2014 (पूर्वाहन) तक शमशी (कुल्लू) में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7 / 2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3 / 2014 को चयनित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान में श्री सुनील शर्मा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी अभिलेख/सूचना के गलत अथवा अपूर्ण होने या फिर उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित हैं।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹1650/-आँका गया जिसे अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103 दिनांक 11.7.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा उक्त राशि ड्राफ्ट संख्या 775568 दिनांक 18.07.2014 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 तक की संयुक्त वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	अवधि	गतशेष	आय	ब्याज	भुगतान	अन्तशेष
1	1.4.2013 से 31.3.2014	₹6752092	₹2454697	₹680070	₹1789911	₹8096948

अन्तशेष का विवरण:-

31.3.14 को रोकड़ वही के अनुसार शेष	₹8096948
31.3.14 को बैंक खाता सं० 20130031372 में जमा राशि	₹2096948
सावधि जमा में परिशिष्ट "क" के अनुसार निवेश	₹6000000
अन्तर	शून्य

5 सरकारी कोष में ₹1300/- कम जमा करवाना:-

सरकारी कोष में जमा की जाने वाली राशियों से सम्बन्धित चालानों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार प्रशिक्षुओं से प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया:-

दिनांक	रसीद सं०	शुल्क का विवरण	राशि
6.8.2013	3403	प्रशिक्षण शुल्क	₹1200
17.8.2013	3506	प्रवेश शुल्क	₹100
कुल योग=			₹1300

इस अनियमितता को अंकेक्षण द्वारा उजागर करने पर ₹1300/- की राशि संस्थान द्वारा चालान संख्या 3 दिनांक 09.07.14 द्वारा सरकारी कोष में जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ बनाते हुए ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति घटित न हो पाना सुनिश्चित किया जाए।

6 ₹50 की जुर्माना राशि कम जमा करना:—

प्रशिक्षुओं से वसूल की गई फीस से सम्बन्धित रसीदों की जाँच में पाया गया कि माह जुलाई 2013 को रसीद संख्या 4862 द्वारा प्रशिक्षु से ₹1980 की वसूली की गई परन्तु फीस वसूली रजिस्ट्र पृष्ठ संख्या 90 में केवल ₹1930 की प्रविष्टि ली गई जिस कारण इस प्रकरण में ₹50 की राशि कम जमा करवाई गई। अंकेक्षण द्वारा इस अनियमितता को उजागर करने पर रसीद संख्या 3848 द्वारा इस राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति घटित न हो पाना सुनिश्चित किया जाए।

7 राशि ₹131795 टी0डी0एस0 कटौती बारे:—

संस्था द्वारा विभिन्न सावधि जमा योजनाओं के अन्तर्गत निवेशित राशियों की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में संस्थान द्वारा निवेशित राशियों से अर्जित ब्याज में से केन्द्रीय काँगड़ा सहकारी बैंक द्वारा 20 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौतियाँ की गई है। संस्था द्वारा न तो आयकर की रिटर्न भरी जा रही है और न ही TAN का पंजीकरण बैंक में करवाया गया है जिस कारण बैंक द्वारा 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती कर दी गई। यदि संस्था द्वारा बैंक में TAN का पंजीकरण समय पर करवाया होता तो अनावश्यक कृत अधिक टी0डी0एस0 कटौतियों से बचा जा सकता था तथा संस्था को इन प्रकरणों में हुई ₹65897/- की आर्थिक हानि से बचाया जा सकता था।

अतः इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही अमल में लाते हुए अपेक्षित TAN का पंजीकरण व आयकर विभाग से अपेक्षित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। बैंक द्वारा काटे गए टी0डी0एस0 का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	एफ०डी०आर० नं०	निवेशित राशि	अर्जित ब्याज	टी०डी०एस० कटौतियाँ
1	387349	1000000	98438	19905
2	387218	2750000	435381	73585
3	387680	2000000	190905	38305
		कुल योग	724724	131795

8 लघु आपत्ति विवरणी:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

9 निष्कर्ष:— छात्र कल्याण निधि लेखाओं में आंतरिक जाँच की कमी परिलक्षित होती है जिसे दूर करने के लिए आवश्यक पग उठाए जायें।

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)सी (15)V(iii) 87 / 87 खण्ड-II दिनांक, 8.8.14.4811-14 शिमला-171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी एवं कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को अतिशीघ्र भिजवायें।
- 2 प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार
- 3 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हि०प्र० सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि०प्र०
- 4 श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता /—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.